



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 पौष 1936 (श0)
(सं0 पटना 45) पटना, बुधवार, 7 जनवरी 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना
8 दिसम्बर 2014

सं0 22/नि0सि0(पट0)—03—16/2013/1890—श्री सुरेश प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2, मसौढ़ी सम्प्रति सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल सं0-1, सीतामढ़ी के विरुद्ध ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2, मसौढ़ी पदस्थापन अवधि में मसौढ़ी के अधीन वर्ष 2010-11 में स्वीकृत पॉच पथों की मरम्मत कार्य में पी0 सी0 सी0 निर्माण कार्य में बरती गई अनियमितता के प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-479 दिनांक 24.04.2014 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। संचालन पदाधिकारी से जॉच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया है। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री प्रसाद को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः श्री सुरेश प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2, मसौढ़ी सम्प्रति सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, सीतामढ़ी को आरोप मुक्त करते हुए उनके विरुद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मोहन पासवान,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 45-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>